रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012024-251375
CG-DL-E-16012024-251375

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 16, 2024/पौष 26, 1945
No. 38]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 16, 2024/PAUSHA 26, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 44(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उपधारा (2) के खंड (छ) और (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम, 2005 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है करने का लोप किया गया है, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा अन्य सदस्यों को संदेय भत्ते और फीस का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम, 2024 है।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ** - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 70 के अधीन स्थापित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य अभिप्रेत जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है;

(ङ) "अन्य सदस्य" से पूर्णकालिक सदस्य से भिन्न कोई अन्य सदस्य अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके इस अधिनियम में हैं।

3. **प्राधिकरण की संरचना** - (1) अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (5) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन, प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात:

(क) अध्यक्ष;

(ख) सदस्य (आर्थिक और वाणिज्यिक);

(ग) सदस्य (ग्रिड संचालन और वितरण);

(घ) सदस्य (हाइड्रो);

(ङ) सदस्य (योजना);

(च) सदस्य (विद्युत प्रणाली);

(छ) सदस्य (तापीय);

(ज) सदस्य (नवीकरणीय ऊर्जा)

(2) नियम 4 के उपबंधों के अधीन, अध्यक्ष और सदस्यों को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त किया जाएगा।

4. **अध्यक्ष तथा सदस्यों की पात्रता और सेवा के निबंधन एवं शर्तें** – (1) अध्यक्ष और सदस्यों के पद के लिए पात्रता की शर्तें नीचे विनिर्दिष्ट की गई हैं:

(क) अध्यक्ष:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी जो;

(अ) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या

(ii) उस श्रेणी में न्यूनतम एक वर्ष की नियमित सेवा के साथ स्तर-16 में पद धारण किए हुए हो; या

(iii) उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ स्तर-15 में पद धारण किए हुए हो; या

(iv) उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ स्तर-14 में पद धारण किए हुए हो; और

(आ) जिनके पास अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (5) में यथा उपबंधित सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का क्षेत्रीय अनुभव हो।

(ख) सदस्य:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी जो;

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या

(ii) उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ स्तर-14 में पद धारण किए हुए हो; और

(ख) जिनके पास अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (5) में किए गए प्रावधान के अनुसार सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का क्षेत्रीय अनुभव हो।

स्पष्टीकरण *- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, "सुसंगत क्षेत्र" पद से अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (5) में यथा विहित क्षेत्र अभिप्रेत है:*

(2) अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन, यथा स्थिति अध्यक्ष या सदस्य, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहेगा:

परंतु जहां उप-नियम (2) में यथा उपबंधित अध्यक्ष या सदस्य की विहित पदावधि उसकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व समाप्त हो जाती है, वहां केंद्रीय सरकार ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि को उसकी अधिवर्षिता की तारीख से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकती है। सहित प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि जिसके अंतर्गत विस्तार भी है यदि कोई हो, सात वर्ष होगी।

(3) कोई व्यक्ति प्राधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहेगा, यदि वह –

(i) प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, प्राधिकरण की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(ii) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने पर, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य उधारदाता प्राधिकरण में उसकी सेवा समाप्त हो जाती है; या

(iii) किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतवर्लित है, दोष सिद्ध ठहरा दिया गया है या कारावास से दंडादिष्ट कर दिया गया है; या

(iv) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है।

5. **आयु सीमा** - अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए अधिकतम आयु सीमा अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी:

(i) अप्रत्याशित रिक्ति के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, और

(ii) प्रत्याशित रिक्ति के मामले में उस तिथि तक जब रिक्ति उत्पन्न होने की प्रत्याशा है।

6. **त्यागपत्र/मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन** – (1) केंद्रीय सरकार को कम से कम तीन महीने की, लिखित सूचना, देकर अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और ऐसा त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर, उसका पद रिक्त समझा जाएगा।

(2) कोई सदस्य, अध्यक्ष को कम से कम तीन महीने की, लिखित सूचना, देने के पश्चात् अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है जो इसे केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा और ऐसा त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर, उसका पद रिक्त समझा जाएगा।

(3) यदि अध्यक्ष और सदस्य को मूल कॉडर में वापस भेजने की परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो उधारदाता मंत्रालय या विभाग या संगठन और संबंधित कर्मचारी को लिखित रूप में कम से कम तीन महीने की सूचना देने के पश्चात् उनकी सेवाएं वापस की जाएंगी।

7. **सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें-**

(1) अध्यक्ष, भारत सरकार के पदेन सचिव की प्रास्थिति का उपभोग करेगा और भारत सरकार के सचिव को यथा उपलभ्य वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा।

(2) कोई सदस्य, भारत सरकार के पदेन अपर सचिव की प्रास्थिति का उपभोग करेगा और भारत सरकार के अपर सचिव को यथा उपलभ्य वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा।

(3) अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, जैसे छुट्टी की पात्रता, छुट्टी वेतन, छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता, चिकित्सा लाभ, आदि वही होंगी जो तत्स्थानी प्रास्थिति के केंद्रीय सरकार के अधिकारियों पर यथा लागू हो।

(4) अध्यक्ष और सदस्यों के संबंध में पेंशन और छुट्टी वेतन अभिदाय का भुगतान, प्राधिकरण द्वारा संबंधित उधारदाता प्राधिकरण को उनके नियमों के अनुसार किया जाएगा।

8. **अन्य सदस्यों को संदेय भत्ते और फीस** - अन्य सदस्य, प्राधिकरण की बैठकों में हाजिर होने के लिए, ऐसे भत्ते और फीस प्राप्त करेंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाए।

9. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिखित रूप में अभिलिखित करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

[फा. सं. ए-35018/09/2019-प्रशासन-I]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi the 15th January, 2024

G.S.R. 44(E). —In exercise of the powers conferred by clauses (g) and (h) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and in supersession of the Central Electricity Authority (Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the terms and conditions of service of Chairperson and Members and allowances and fees payable to other members namely:-

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the Central Electricity Authority (Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) "Authority" means the Central Electricity Authority established under section 70 of the Act;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;

(d) "Member" means a full-time Member of the Authority, including the Chairperson;

(e) "other Member" means a Member other than a full-time Member.

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Composition of Authority**. – (1) Subject to the provisions contained in sub-section (5) of section 70 of the Act, the Authority shall consist of the following Members, namely:-

(a) Chairperson;

(b) Member (Economic and Commercial);

(c) Member (Grid Operations and Distribution);

(d) Member (Hydro);

(e) Member (Planning);

(f) Member (Power Systems);

(g) Member (Thermal);

(h) Member (Renewable Energy).

(2) The Chairperson and Members shall be appointed on deputation (including short-term contract), subject to the provisions of rule 4.

4. Eligibility and term and conditions and service of Chairperson and Members. – (1) The eligibility conditions for the post of Chairperson and Members are specified below:

(a) Chairperson:

Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognized Research Institution,-

(A) (i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) holding post in Level-16 with minimum one year of regular service in the grade; or

(iii) holding post in Level-15 with two years of regular service in the grade; or

(iv) holding post in Level-14 with five years of regular service in the grade; and

(B) possessing three years' field experience in the relevant field as provided in sub-section (5) of section 70 of the Act.

(b) Member:

Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognized Research Institution;

(A) (i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) holding post in Level-14 with five years of regular service in the grade; and

(B) possessing three years' field experience in the relevant field as provided in sub-section (5) of section 70 of the Act.

Explanation. - *For the purposes of this sub-rule, the expression "relevant field" means the fields as prescribed in sub-section (5) of section 70 of the Act:*

(2) Subject to the provisions of sub-section (6) of section 70 of the Act, the Chairperson, or as the case may be, a Member shall hold office for a period not exceeding five years or till he attains the age of superannuation:

Provided that where the prescribed term of office of the Chairperson or a Member as provided in sub-rule (2) expires before he attains the age of superannuation, the Central Government may extend the term of office of such Chairperson or Member for a further period not exceeding the date of his superannuation. The maximum period of deputation including extension, if any, shall be seven years.

(3) A person shall cease to be the Chairperson or a Member of the Authority, if he –

(i) remains absent, without the prior permission of the Authority, from three consecutive meetings of the Authority; or

(ii) having been appointed on deputation, ceases to be in service of the Central Government or the State Government or any other lending authority; or

(iii) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(iv) is an un-discharged insolvent.

5. Age limit. –The maximum age limit for being appointed as the Chairperson or a Member shall be not exceeding fifty-eight years:-

(i) as on the closing date of receipt of applications for unanticipated vacancy, and

(ii) as on date on which vacancy is expected to arise in case of anticipated vacancy.

6. Resignation/repatriation to parent cadre. – (1) The Chairperson may resign from his office by giving notice of at least three months in writing to the Central Government and on such resignation being accepted, he shall be deemed to have vacated his office.

(2) A Member may resign from his office after giving notice of at least three months in writing to the Chairperson who shall forward the same to the Central Government and on such resignation being accepted, he shall be deemed to have vacated his office.

(3) If, a situation arises for repatriation of the Chairperson and Member to the parent cadre, his services will be returned after giving notice of at least three months in writing to the lending Ministry or Department or organisation and the employee concerned.

7. Pay, allowances and other terms and conditions of service of Members.-

(1) The Chairperson shall enjoy the status of ex-officio, Secretary to the Government of India and shall carry the same pay and allowances as available to the Secretary to that Government.

(2) A Member shall enjoy the status of ex-officio, Additional Secretary to the Government of India and shall carry the same pay and allowances as available to the Additional Secretary to that Government.

(3) The other terms and conditions of service of Chairperson and Members, like entitlement of leave, leave salary, leave travel concession, travelling allowance, medical benefits, etc., shall be as applicable to the Central Government officers of corresponding status.

(4) The pension and leave salary contribution of the Chairperson and Member, shall be paid by the Authority to the respective lending authority in accordance with their rules.

8. Allowances and fees payable to other Members. - The other Members shall receive such allowances and fees for attending the meetings of the Authority as may be determined by the Central Government.

9. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

[F. No. A-35018/09/2019-Adm.I]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA